दिनांक 25.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 26/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर का किया गया भ्रमण/निरीक्षण एवं कमिश्नरेट कानपुर नगर व कानपुर परिक्षेत्र की समीक्षा बैठक कर दिये गये आवश्यक निर्देश

डॉ0 आर0के0 विश्वकर्मा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 25.05.2023 को कमिश्नरेट कानपुर नगर का भ्रमण/निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक किया गया। इस अवसर पर विशेष पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/अपराध श्री प्रशान्त कुमार व कमिश्नरेट कानपुर नगर, श्री बी0पी0 जोगदण्ड सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कानपुर नगर पुलिस लाइन्स के भ्रमण के दौरान क्वार्टर गार्द, स्टोर रूम, आरमरी, सी0पी0सी0 कैन्टीन, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा कमिश्नरेट के अधिकारियों को मेस की व्यवस्था को और आधुनिक करने सहित अन्य बिन्दुओं पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भ्रमण/निरीक्षण के पश्चात सभागार में कमिश्नरेट कानपुर नगर एवं कानपुर परिक्षेत्र के राजपत्रित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, उक्त बैठक में पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक यू0पी0–112, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक भवन एवं कल्याण भी उपस्थित रहे।

कमिश्नरेट कानपुर नगर पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था–नवाचार एवं सुधार के सम्बन्ध में अपना प्रस्तुतिकरण किया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यतः निम्न निर्देश दिये गयेः–

- अपराध व भ्रष्टाचार के विरूद्ध **जीरो टॉलरेन्स** की नीति के तहत कार्यवाही की जाये।
- सामान्य जन की समस्याओं एवं जन शिकायत का नियमित अनुश्रवण कर समयबद्ध गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाय।
- महिला/बृद्ध नागरिक की शिकायत को संवेदनशीलता के साथ सुनी जाय।
- छोटी से छोटी घटनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर उन पर अंकुश लगाने की प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।
- उच्च स्तर के **ट्रैफिक कमाण्ड सेन्टर** बनाये जायें तथा पूर्व से स्थापित कमाण्ड सेन्टर को उच्चीकृत करते हुए आधुनिकतम डिवाइस लगाया जाये।
- अपराधियों का डेटा बेस/डोजियर तैयार किया जाये।
- डाग ट्रेनर्स को प्रशिक्षित कराकर श्वानों को प्रशिक्षित किया जाये तथा इनका इस्तेमाल आपराधिक मामलो में और अच्छे तरीके से किया जाये।
- नियमित रूप से **पैदल गश्त (फूट पेट्रोलिंग)** किया जाये। अधिकारीगण भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहें, जिससे जनमानस व पुलिस के मध्य अनावरत सम्पर्क व संवाद बना रहे।
- **पुलिस लाइन्स** में पुलिस कार्मिकों में उच्चस्तर का अनुशासन टर्न–आउट व शारीरिक दक्षता बनाये रखने हेतु परेड के साथ–साथ कार्मिकों को दंगा नियन्त्रण/बलवा ड्रिल व शस्त्र आदि का प्रशिक्षण कराया जाये।
- बैण्ड कर्मियों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराये जायें तथा उनकी व्यवसायिक कार्य दक्षता में और वृद्धि लाने हेतु ड्रिल करायी जाये तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बैण्ड का प्रदर्शन कराया जाये।
- घटना स्थल पर फिल्ड यूनिट को तत्काल भेज कर वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन कराते हुए विवेचना में समाहित किया जाये तथा मा0 न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी की जाये।

- न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गये अपराधियों का फिंगर प्रिन्ट व फोटो संकलित कर उसका डेटा बेस तैयार किया जाये तथा आपराधिक घटनाओं में उनका वैज्ञानिक साक्ष्य के क्रम में उपयोग किया जाये।
- प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य संकलन, सॉफ्ट स्किल आदि का प्रशिक्षण कराया जाये।
- यू0पी0–112 के वाहनों का युक्ति–युक्त प्रयोग व पुलिस बल की नियमित ब्रीफिंग की जाये तथा रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया जाये। वाहनो में दंगा नियन्त्रण उपकरण भी रखे जायें।
- यू0पी0–112 के व्हाट्सएप हेल्प लाइन नम्बर 7570000100 का प्रचार–प्रसार किया जाये।
- नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी/संग्रह आदि के सम्बन्ध में सघन अभियान चलाकर और अधिक प्रभावी कार्यवाही की जाये।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **25 हजार व 10 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 24/25.05.2023 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–सागर 2–विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विक्की के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सागर के विरूद्ध जनपद मथुरा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर एवं दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग एवं अभियुक्त विक्की के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से अभियुक्त सागर पर 10 हजार रूपये एवं अभियुक्त विक्की पर 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सागर निवासी त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली।

2–विक्की निवासी डिफेंस कॉलोनी भोपुरा थाना शाहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद खीरी/थाना गोला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सामान**
- **लूट के माल बिक्री के नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2023 को थाना गोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शारदानगर पटरी पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त करन उर्फ बब्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सामान, लूट के माल बिक्री के नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद खीरी, शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन उर्फ बब्लू निवासी अस्थाई डेरा, पूर्व का मूल पता करवा थाना पिहानी जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—लूट के सामान।

2—लूट के माल बिक्री के नगद रूपये।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गोरखपुर/थाना गुलरिहा

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 37 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 24.05.2023 की रात्रि थाना गुलरिहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1—आलोक उर्फ चंचल 2—राजेश कुमार 3—रोशन 4—सूरज 5—मुनिब 6—रवि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 37 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त महाकाल ग्रुप के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छोटे—मोटे विवाद पर आपस में समन्वय कर एकत्र होकर मारपीट व लूट की घटनाए कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना गुलरिहा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलोक उर्फ चंचल निवासी जैनपुर टोला असनहींया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

2—राजेश कुमार निवासी जैनपुर टोला असनहींया थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर।

3—रोशन निवासी जंगल डुमरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

4—सूरज निवासी जंगल डुमरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

5—मुनिब निवासी जंगल डुमारी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

6—रवि निवासी खुटहन खास टोला कारखाना थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—लूट के 37 हजार रूपये नगद।

जनपद गाजीपुर/थाना नंदगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के नगद रूपये**
- **लूट का 01 मोटर साइकिल**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2023 को थाना नंदगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम करैला व आकुशपुर जाने वाले हाई वे ओवर ब्रिज के पास से 02 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–राहुल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के नगद रूपये, लूट का 01 मोटर साइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना नंदगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नंदगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोटर साइकिल लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नंदगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी ढेलवा थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर।

2–राहुल निवासी टारडीह थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लूट के नगद रूपये।

2–लूट का 01 मोटर साइकिल।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मथुरा/थाना हाई–वे

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 ट्रैक्टर**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 52 हजार रूपये नगद**
- **01 बोलेरो, 01 महिन्द्रा टीयूवी वाहन आदि बरामद**

दिनांक 24.05.2023 को थाना हाई–वे व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाजना और गणेशरा के बीच नाले पटरी के पास से 06 अभियुक्तों 1–मानवेन्द्र उर्फ मानो 2–भगत सिंह 3–सुनील कुमार 4–समीर मसीह उर्फ टूडू 5–छिन्दर उर्फ छिन्दा 6–इरशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 ट्रैक्टर, चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 52 हजार रूपये नगद, 01 बोलेरो, 01 महिन्द्रा टीयूवी वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अलग–2 जनपदो से ट्रेक्टर चोरी कर उनके चेचिंस नम्बर, इंजन नम्बर को बदल कर भोले–भाले किसानो को बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना हाई–वे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मानवेन्द्र उर्फ मानो निवासी ग्राम लोरहिया पटटी थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

2–भगत सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा।

3–सुनील कुमार निवासी खेमा खाती आरे वाला चौक थाना फतेहाबाद शहर जनपद फतेहाबाद हरियाणा।

4–समीर मसीह उर्फ टूडू निवासी पुराना बस स्टैण्ड लाजपत नगर थाना फतेहाबाद शहर जनपद फतेहाबाद हरियाणा।

5–छिन्दर उर्फ छिन्दा निवासी सेसन थाना जुरहेरा जनपद भरतपुर राजस्थान।

6–इरशाद निवासी सेसन थाना जुरहेरा जनपद भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी के 10 ट्रैक्टर।

2–चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 52 हजार रूपये नगद।

3–01 बोलेरो, 01 महिन्द्रा टीयूवी वाहन आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 लग्जरी चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 25.05.2023 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना वेबसिटी क्षेत्रान्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–तौसीफ 2–राहुल 3–इरफान 4–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 लग्जरी चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से लग्जरी गाडियों को उनकी मांग के अनुसार चोरी कर उसके इंजन नम्बर, चेचिंस नम्बर में टैम्परिंग कर, फर्जी कागजात तैयार कर भोले–भाले लोगो या ओलेक्स के माध्यम से ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तौसीफ निवासी बकर कसावन थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–राहुल निवासी खरखड़ी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।

3–इरफान निवासी खारी कुआं गुजरान गेट थाना सरधना जनपद मेरठ।

4–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी की 08 लग्जरी चार पहिया वाहन।

जनपद अमरोहा/थाना मंडी धनौरा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के प्रतिबंधित 74,000 नशीले कैप्सूल/इंजेक्शन**
- **46 हजार रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 25.05.2023 को थाना मंडी धनौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौगावां फाटक फीना रोड मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1—जयकुमार 2—राजेश कुमार 3—नीरज कुमार 4—जतिन 5—फुरकान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के प्रतिबंधित 74,000 नशीले कैप्सूल/इंजेक्शन, 46 हजार रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जयकुमार निवासी सतुपुरा थाना एचौडा कम्बोह जनपद सम्भल।

2—राजेश कुमार निवासी खरसौली थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।

3—नीरज कुमार निवासी मो0मुरावन थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं।

4—जतिन निवासी बेगमसराय थाना सम्भल।

5—फुरकान निवासी सलारपुर थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के प्रतिबंधित 74,000 नशीले कैप्सूल/इंजेक्शन।

2—46 हजार रूपये नगद।

3—06 मोबाइल फोन।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सिसोलर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सिसोलर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–तेज कुमार 2–पप्पू को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना अवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद एटा द्वारा थाना अवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/34 भादवि 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सुनील उर्फ बिट्टू 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्त सुनील उर्फ बिट्टू को धारा 504 भादवि में 02 वर्ष के कारावास व 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसेना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरसेना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लब्बू उर्फ लोकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एडीजे/स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट जनपद हापुड़ द्वारा थाना सिम्भावली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गप्पू उर्फ सुखवीर को आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–हत्या/चोरी की घटना में जनपद सीतापुर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त अभिमन्यु शुक्ला गिरफ्तार।</u>

दिनांक 25–05–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को हत्या/चोरी की घटना में जनपद सीतापुर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त अभिमन्यु शुक्ला को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

अभिमन्यु शुक्ला पुत्र रामकिषोर शुक्ला नि0 ग्राम गद्दीपुर, थाना सदरपुर, जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद तमन्चा 315 बोर।

2– 01 जिन्दा कारतूस।

3– 01 अदद चाकू।

4– रू0 850/–नगद

5– 01 अदद पर्स।

6– 01 अदद आधार कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

बिसवा गेट, थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर दिनांक 25–05–2023 समय 5.00 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 24—05—2023 को उपनिरीक्षक अमित तिवारी के नेतृत्व में मु0आ0 घनष्याम राय, विद्यासागर, आरक्षी अवनीष मु0आ0 कमा0 विनोद यादव की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद सीतापुर में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2023 धारा 380, 411 भादवि में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी अभिमन्यु शुक्ला बिसवा गेट, थाना लहरपुर, जनपद सीतापुर के पास आने वाला है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुंचकर वांछित अभियुक्त को आवष्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं दिनांक 16—03—2023 को धरमदत्त बाजपेई पुत्र स्व0 षिवानन्द प्रसाद निवासी कटरा थाना लहरपुर, सीतापुर के यहॉ रात्रि में चोरी करने के इरादे से घुसा था जहॉ उनके पुत्र शोभित बाजपेई द्वारा मुझे मौके पर पकड़ लिया गया था, मैं उन्हे चाकू से मारकर मौके से भाग गया था। बाद में इलाज के दौरान शोभित बाजपेई की मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त अभिमन्यु शुक्ला का ज्ञात अपराधिक इतिहासः—

1— मु0अ0सं0 99/15 धारा 389 भादवि थाना सदरपुर सीतापुर।

2— मु0अ0सं0 381/15 धारा 389, 411 भादवि थाना लहरपुर, सीतापुर।

3— मु0अ0सं0 341/15 धारा 394 भादवि थाना विसवा, सीतापुर।

4— मु0अ0सं0 167/15 धारा 392, 411 भादवि थाना थानगॉव, सीतापुर।

5— मु0अ0सं0 187/15 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट, थाना थानगॉव, सीतापुर।

6— मु0अ0सं0 300 / 15 धारा 392 भादवि थाना विसवा, सीतापुर।

7— मु0अ0सं0 179 / 15 धारा 394 भादवि थाना थानगॉव, सीतापुर।

8— मु0अ0सं0 101 / 15 धारा 25(1बी) आर्म्स एक्ट, थाना सदरपुर, सीतापुर।

9— मु0अ0सं0 208 / 16 धारा 2 / 3 यूपी गै0एक्ट, थाना थानगॉव, सीतापुर।

10— मु0अ0सं0 106 / 16 धारा 457, 380 भादवि थाना बिसवा, सीतापुर।

11— मु0अ0सं0 314 / 17 धारा 25 (1बी) ए—एक्ट थाना रेउसा, सीतापुर।

12— मु0अ0सं0 312 / 17 धारा 392, 411, 413 भादवि थाना रेउसा, सीतापुर।

13— मु0अ0सं0 6 / 19 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना रामपुर कला, सीतापुर।

14— मु0अ0सं0 28 / 19 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना रामपुर कला, सीतापुर।

15— मु0अ0सं0 36 / 19 धारा 380, 427, 457, 511 भादवि थाना बिसवा, सीतापुर।

16— मु0अ0सं0 50 / 19 धारा 380, 411 भादवि थाना बिसवा, सीतापुर।

17— मु0अ0सं0 98 / 19 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना बिसवा, सीतापुर।

18— मु0अ0सं0 404 / 19 धारा 2 / 3 यूपी गै0एक्ट थाना बिसवा, सीतापुर।

19— मु0अ0सं0 128 / 19 धारा 413, 411, भादवि थाना बिसवा, सीतापुर।

20— मु0अ0सं0 108 / 20 धारा 25 (1बी) ए—एक्ट थाना रेउसा, सीतापुर।

21— मु0अ0सं0 5 / 21 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना लहरपुर, सीतापुर।

22— मु0अ0सं0 270 / 21 धारा 25 (1बी) एक्ट थाना सदरपुर, सीतापुर।

23— मु0अ0सं0 336 / 21 धारा 380, 411 भादवि थाना महमुदाबाद, सीतापुर।

24— मु0अ0सं0 129 / 21 धारा 25 (1बी) ए—एक्ट थाना विसवॉ, सीतापुर।

25— मु0अ0सं0 332 / 21 धारा 20 / 8 एनडीपीएस एक्ट, थाना विसवॉ, सीतापुर।

26— मु0अ0सं0 32 / 22 धारा 394, 411 भादवि थाना थानगॉव, सीतापुर।

27— मु0अ0सं0 37 / 22 धारा 25 (1बी) एक्ट थाना थानगॉव, सीतापुर।

28— मु0अ0सं0 130 / 23 धारा 380, 411 भादवि थाना लहरपुर, सीतापुर। (वांछित)

29— मु0अ0सं0 28 / 23 धारा 457, 380 भादवि थाना तालगॉव, सीतापुर। (वांछित)

30— मु0अ0सं0 54 / 23 धारा 380, 457 भादवि थाना तालगॉव, सीतापुर। (वांछित)

31— मु0अ0सं0 83 / 23 धारा 459 भादवि थाना सकरन, सीतापुर। (वांछित)

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0 130/23 धारा 380, 411 भादवि थाना लहरपुर, सीतापुर में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

———